भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

9/13/2021–भर्ती/293   मार्च 17, 20121

पृष्ठांकन/ENDORSEMENT

विषय :– नोवल कोरोना वाइरस (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिए बचाव उपाय।

उपरोक्त विषय पर कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.) से प्राप्त आदेश संख्या 1043/री.ए.डी.ए/2021 दिनांक 16/03/2021 की प्रति सूचनार्थ हेतु अग्रेषित है।

मीना 17/3/2021

(डी. सी. मीना)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मेल ऑल

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/1043/सी.ए.डी.ए. /2021 इन्दौर, दिनांक 16.03.2021

// आदेश//

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

इन्दौर जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जिले में सामाजिक/शैक्षणिक/खेल मनोरंजन/सांस्कृतिक/राजनैतिक गतिविधियों को इस प्रकार से विनियमित किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की गति में कमी आए व ऐसी परिस्थितियां निर्मित न हो जिससे उपचार की यथोचित व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन हो जाए। उक्त कोविड परिस्थितियों हेतु क्राईसेस मैनेजमेंट की बैठक 12.03.2021 को संपादित हुई जिसमें सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया जाकर राज्य शासन गृह विभाग को समिति की सहमति को 12.03.2021 को ही अवगत कराया गया था। उक्त समस्त परिस्थितियों के चलते मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2021 एवं पत्र कमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-क्यू भोपाल दिनांक 16 मार्च 2021 के अनुक्रम में, **मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर,** एतद् द्वारा दण्ड प्रकिया संहित 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण इन्दौर जिले में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

1. यह कि इन्दौर में शहर में रात्रि 10.00 बजें से सुबह 06.00 तक समस्त दुकाने/व्यवसायीक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट, राशन एवं खान-पान की दुकान पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। केवल आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, एयरपोर्ट, रेल्वेस्टेशन, बस स्टेण्ड आने जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति होगी। समस्त अन्य गैर आवश्यक आवागमन आमजन द्वारा नहीं किए जा सकेंगे। रात्रि 10.00 बजें से बंद होने संबंधी यह निर्देश दिनांक 17 मार्च 2021 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

   खान-पान की दुकानों से तात्पर्य दूध डेरी, किराना दुकान, विभिन्न राशन सामग्रीयों की थोक दुकाने आदि से है। इसके तहत 56 दुकान, सराफा चौपाटी या अन्य व्यावसायिक अथवा आवासीय क्षेत्रों में स्थित फास्ट-फूड, बेकरी, रेस्टोरेंट

स्वरूप की दुकाने नहीं आने से इस श्रेणी की खान–पान की दुकाने पूर्ण रूप से रात्रि 10.00 बजें बंद होगी।

रात्रि 10.00 से 06.00 बजें तक अकारण आमजन का आवागमन न हो इसके लिए पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। इसी प्रकार समस्त रेस्टोरेंट भी रात्रि में 10.00 बजें अनिवार्यतः बंद होंगे। रात्रि 10.00 बजें के उपरांत फार्म हाउस, विभिन्न बंद हॉलों में अथवा पृथक से खुले क्षेत्रों में समस्त प्रकार की पार्टियां प्रतिबंधित रहेगी।

2. जिले में जुलूस/गैर/मेले आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। खुले/बंद स्थानों पर आयोजित समस्त सामाजिक/राजनैतिक/धार्मिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही किए जा सकेंगे। 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करना बंधनकारी होगा।
3. यह कि मास्क पहनने का सख्ती से पालन कराया जाए तथा उल्लघंन करने वालों को रूपये 200/– का अर्थदण्ड मौके पर लगाया जाए। नगर निगम, पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड –19 के प्रचार हेतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको–टोको संबंधित संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित किए जाऐंगे।

निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा उक्त अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा –

1. नगर निगम, सीमा क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके द्वारा अधिकृत झोन वाईस अथवा वार्ड वाईस अधिकारीगण।
2. जिले की नगर पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति।
3. जनपद पंचायत क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारीगण।
4. केंटोनमेंट क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी।

स्पॉट फाईन नहीं दिए जाने अथवा विवाद किए जाने पर ऐसे व्यक्ति का वीडियों तैयार कर संबंधित थाने में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने संबधी कार्यवाही की जाए।

4. बिन्दु कमांक 03 में उल्लेखित अधिकरीगण यह भी सुनिश्चित करंगे कि जिले में दुकानों एवं व्यवसायीक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए। विभिन्न दुकानों/व्यवसायीक प्रतिष्ठानों के संचालकगणों की जिम्मेदारी होगी की संव्यवहार व्यक्तियों से अथवा ग्राहकों से तभी करे जब वह मास्क का इस्तेमाल ठीक ढंग से कर रहा हो ऐसा नही किए जाने पर यह माना जावेगा कि संबंधित संस्थान मालिक जिले/शहर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है तद्नुसार अग्रिम आदेशों तक वह प्रतिष्ठान सील/बंद किया जावेगा।
5. **समस्त रेस्टोरेंट, खाने–पीने के संस्थान, कोचिंग क्लासेस आदि** मे क्षमता से 50 प्रतिशत ही व्यक्ति एक समय में रह सकेंगे। इन संस्थान के मालिकों का दायित्व रहेगा कि इन निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाए तथा नहीं किए जाने पर ऐसे संस्थानों को जिले/शहर के अन्य नागरिकों के साथ स्वास्थ्य में खिलवाड़ करते हुए पाए जाने पर अग्रिम आदेश तक सील किए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
6. अग्रिम आदेशों तक समस्त प्रकार के **सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, चल–समारोह कार्यकम** आदि पर अग्रिम आदेशों तक रोक रहेगी। इसी प्रकार समस्त प्रकार के **रैली, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन** आदि में भी प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति से ही कोई भी गतिविधि की जा सकेगी।
7. समस्त प्रकार के बंद हॉल में आयोजित एकत्रीकरण में हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता (अधिकतम 200 व्यक्ति) ही रह सकेगे। इसका उल्लघंन किए जाने पर एकत्रीकरण हेतु जिम्मेदार आयोजक एवं हॉल स्वामी दोनों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जावेगी।
8. **शादी, विवाह कार्यकम** में अधिकतम 200 व्यक्ति (वर–वधू पक्ष, पुजारी आदि को मिलाकर) रह सकेंगे तथा बारात में 50 व्यक्ति ही रह सकेंगे।
9. **जनाजे, शवयात्रा** आदि में अधिकतम 50 लोगों के साथ निकल सकेंगे तथा शमशान, कब्रिस्तान में अधिकतम 20 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। समस्त **उठावने चलित** श्रेणी के ही किए जा सकेंगे।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में **मृत्यू भोज/तेरहवी** में यह देखा जा रहा है कि सेकड़ों की संख्या में लोगों को आमंत्रित कर यह कार्य किए जा रहे है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को

देखते हुए यह प्रतिबंधित रहेगा तथा अधिकतम 50 व्यक्तियों को जिसमें ब्राहम्ण भी शामिल हो सकते है सोशल डिस्टेंसित का पालन करते हुए एकत्रिकरण किया जासकेगा।

11. समस्त प्रकार के **स्वीमिंग पूल** पूर्ण रूप से बंद रहेगे तथा इन्दौर शहर के आसपास के समस्त पिकनिक स्पाटॅ पर जाना प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन कर अगर कोई व्यक्ति **पिकनिक स्पॉट** पर जाते है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी तथा उनके वाहनों को जप्त कर थानों में जमा कर सकेगी।
12. विभिन्न धर्मस्थलों पर किसी भी प्रकार के **धार्मिक कार्यकम, धार्मिक रैली, धार्मिक जुलूस आदि** पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा तथा धर्मस्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल दर्शन आदि किया जा सकेगा। ज्यादा भीड़ या अनियंत्रित भीड़ हो जाने से धर्मस्थल प्रबंधक कुछ समय के लिए धर्मस्थल को बंद कर सकेंगे।
13. विभिन्न **औद्योगिक गतिविधियां** में इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं रहेगा तथा वह इस प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। इसी प्रकार **पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र** में स्थित औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को आने एवं जाने हेतु अनुबंधित बसों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 16 मार्च 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 1044 / री0ए0डी0एम0 / 2021

इन्दौर, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि :—

1— प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2— आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3— पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4— उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5— आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6— समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
7— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8— समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
9— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10— एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
11— उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12— थाना प्रभारी, थाना...जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13— उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
14— प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15— प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.